



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, http:// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 23/09/2022

अधिसूचना

संख्या-नि.प्रा./ नि0 1-49/2022 ~~1788~~ चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा 44 (चौवालीस) प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 04.11.2022 (शुक्रवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या- 1659 दिनांक 02.09.2022 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.08.2022 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 27.09.2022 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाना निर्धारित है।

4. सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 4338 दिनांक 26.05.2017 एवं प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 407 दिनांक 27.05.2017 के तहत प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति में अध्यक्ष/सचिव/मंत्री के पद को छोड़कर कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु 50 प्रतिशत से किसी परिस्थिति में अधिक नहीं पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। दूसरे शब्दों में मत्स्यजीवी सहयोग समिति में प्रबंधकारिणी समिति के ग्यारह सदस्यों के पद में से पाँच पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

5. अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	01.10.2022 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	16.10.2022 (रविवार) एवं 17.10.2022 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	18.10.2022 (मंगलवार) एवं 19.10.2022 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	26.10.2022 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	04.11.2022 (शुक्रवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	04.11.2022 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	06.11.2022 (रविवार)

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 01.10.2022 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई0-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई018 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरान्त डाउनलोड Pdf का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

8. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/

मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के वजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के निर्णय को संशोधित करते हुए पूर्व की भांति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

12. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 01.10.2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 01.10.2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

13. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के

लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाइजेशन/ साबून पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जायेगा।

14. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 06.11.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 122-129 पर देखे जा सकते हैं।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1788

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1788

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, जमुई, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, बेगूसराय, पटना, शेखपुरा, गया एवं रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियों दिनांक 30.09.2022 (शुक्रवार) तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1788

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.)/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (सं.सं.)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित अपर समाहर्ता/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं.सं.) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

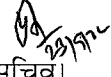
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि प्राधिकार के पत्रांक 460 दिनांक 06.06.2017 के आलोक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे। उक्त पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सचिव।

ज्ञापांक : 1788

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक : 1788

पटना/ दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

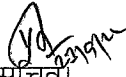

सचिव।

ज्ञापांक : 1788

/पटना, दिनांक 23/09/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूप बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।


सचिव।

निर्वाचन देय प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सूची।

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
1	भोजपुर	शाहपुर	शाहपुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
2	भोजपुर	चरपोखरी	चरपोखरी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
3	भोजपुर	तरारी	तरारी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
4	भोजपुर	पीरो	पीरो प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
5	भोजपुर	उदवन्तनगर	उदवन्तनगर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
6	भोजपुर	आरा	आरा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
7	भोजपुर	बड़हरा	बड़हरा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
8	भोजपुर	जगदीशपुर	जगदीशपुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
9	पूर्वी चम्पारण	हरसिद्धि	हरसिद्धि प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
10	पूर्वी चम्पारण	पिपरा कोठी	पिपरा कोठी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
11	पूर्वी चम्पारण	तेतरिया	तेतरिया प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
12	पूर्वी चम्पारण	मधुबन	मधुबन प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
13	पूर्वी चम्पारण	चकिया	पिपरा थाना प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
14	जमुई	सोनो	सोनो प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
15	जमुई	ई0 अलीगंज	ई0 अलीगंज प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
16	जमुई	जमुई	जमुई प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
17	जमुई	झाझा	झाझा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
18	मुजफ्फरपुर	मीनापुर	मीनापुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
19	मुजफ्फरपुर	कटरा	कटरा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
20	मुजफ्फरपुर	औराई	औराई प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
21	पश्चिम चम्पारण	बैरिया	बैरिया प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0, बैरिया
22	पश्चिम चम्पारण	भितहा	भितहा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
23	सीतामढी	नानपुर	नानपुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
24	सीतामढी	रीगा	रीगा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
25	सीतामढी	सुरसण्ड	सुरसण्ड प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
26	सीतामढी	बाजपट्टी	बाजपट्टी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
27	सुपौल	सुपौल	सुपौल प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
28	सुपौल	सरायगढ़ भपटियाही	सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0

29	सुपौल	छातापुर	छातापुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
30	सिवान	दरौंदा	दरौंदा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
31	बेगूसराय	वीरपुर	वीरपुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
32	बेगूसराय	छौड़ाही	छौड़ाही प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
33	पटना	पण्डारक	पण्डारक प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
34	शेखपुरा	बरबीघा	बरबीघा प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
35	गया	डोभी	डोभी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
36	गया	नीमचकबथानी	नीमचकबथानी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
37	गया	बोधगया	बोधगया प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
38	गया	मानपुर	मानपुर प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
39	गया	बाराचट्टी	बाराचट्टी प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
40	गया	वजीरगंज	वजीरगंज प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
41	रोहतास	सासाराम	सासाराम प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
42	रोहतास	संझौली	संझौली प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
43	रोहतास	तिलौथू	तिलौथू प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0
44	रोहतास	नासरीगंज	नासरीगंज प्रखंड मत्स्यजीवी स0स0लि0